ADMN→48

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,जोधपुर

क.स/जोविविनिलि/अप्रनि/सचिव(प्रशासन)/रा.संस्था/फा. पे.355 /दिनांक 16/6/07

परिपत्र

विषय :- जोधपुर विद्युत वितरण निगम (वर्गीकरण,नियन्त्रण एवं अपील) विनियम, 1962 एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम तकनीकी कामगार सेवा विनियम,1975 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित प्रकार के दण्डों का कार्मिक की पदोन्नति पर प्रभाव।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियम, 1962 एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम तकनीकी कामगार सेवा विनियम,1975 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी पाये जाने पर लघु अथवा वृहद दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं अथवा हानि की वसूली की जाती है जिसका प्रभाव सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति पर भी पड़ता है। उक्त विनियमों में अधिरोपित किसी दण्ड का किसी कार्मिक की पदोन्नति पर क्या प्रभाव होगा, यह जानने हेतु विभिन्न नियुक्त प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन चाहे जाते है।

अतः समन्वय समिति की दिनांक 2 व 3 मई 2007 को हुई 104 वी बैठक में उक्त विनियमों के अन्तर्गत की गई अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपित किसी दण्ड का उसकी पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यायोचित एवं तर्कसंगत तरीके से स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पदोन्नति के प्रकरणों में किसी कर्मचारी/अधिकारी पर पूर्व में लगाये गए दण्डों का प्रभाव निम्नानुसार होगा

क्र. सं.	दण्ड का प्रकार	पदोन्नति पर प्रभाव	टिप्पणी
1.	परिनिन्दा का दण्ड	एक परनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किया जावेगा।	प्रत्येक प्रकरण में अधिरोपित दण्ड का अलग-अलग प्रभाव होगा अर्थात एक से अधिक प्रकरणों में यदि दण्ड दिया जाता है तो कार्मिक को पदोन्नति से उतनी ही बार वंचित किया जावेगा।
2.	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के एक दण्डादेश हेतु एक बार पदोन्नति रोकी जावेगी।	
3.	संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना	एक दण्डादेश से जितनी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड है उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित किया जावेगा।	प्रत्येक प्रकरण/आदेश का अलग अलग प्रभाव होगा।
4.	पदोन्नति रोकने का दण्ड	जितने वर्षों हेतु पदोन्नति रोकी गई है उतने वर्षों तक पदोन्नति से वंचित किया जावेगा।	यदि पदोन्नति रोकने के दण्डादेश में समय का उल्लेख नहीं हो तो सात वर्षों तक पदोन्नति रोकी जावेगी।
5.	लापरवाही,किसी विधि,नियम, विनियम,आदेश भंग करने से निगम को हुई आर्थिक हानि की वसूली	हानि वसूली के प्रत्येक प्रकरण हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किया जावेगा।	